छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

कमांकः–एफ–4–35/सात–1/2013: रायपुर दिनाक 19/6/2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ ।

विषयः–:राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार–1 एवं 2 के तहत आबंटन आदेश की शर्त कमांक–3 में संशोधन बावत ।

––000––

शासन के द्वारा विभिन्न आवेदकों तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं को शासकीय भूमि आबंटन हेतु जारी आवंटन आदेश में प्रव्याजि तथा भू–भाटक जमा करने हेतु 6माह की समयसीमा निर्धारित की जाती है तथा निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा न करने पर आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माने जाने का प्रावधान किया जाता है। उक्त प्रावधान के कारण बाद में कई आवेदकों के द्वारा आबंटन आदेश पुर्नजीवित करने की मांग की जाती है।

2/ ऐसे आवेदन पत्रों पर शासन के द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि स्थाई पट्टे पर शासकीय भूमि के आबंटन के मामलों में जारी पट्टे पर जारी की जाने वाली आबंटन आदेश के कण्डिका (3) में निम्नानुसार प्रावधान जोडा जावे :–

आवेदक संस्था से प्रव्याजि एवं भू–भाटक की संपूर्ण राशि आबंटन आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह के अन्दर जमा कराई जाए। यदि आबंटिती द्वारा निर्धारित 6 माह की समयावधि में प्रव्याजि एवं भू–भाटक की संपूर्ण राशि जमा नही किये जाने की स्थिति में, आंबंटन आदेश की तिथि से प्रव्याजि एवं वार्षिक भू–भाटक पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाकर,संपूर्ण प्रव्याजि एवं वार्षिक भू–भाटक की राशि जमा कराई जाए । यह अवधि 2 वर्ष से आधिक नही होगी । आबंटिती द्वारा उपरोक्त दो वर्ष की समयावधि में राशि जमा न करने पर, आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
13/6/13
(सी .तिर्की)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
राजस्व एंव आपदा प्रबन्धन विभाग

पृ0 क0:–एफ–4–35/सात–1/2013: रायपुर दिनाक 19/6/2013

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग ।
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय छत्तीसगढ शासन मंत्रालय की ओर मंत्रि–परिषद के आयटम कमांक 67.2 दिनांक 16.10.2012 के पालन में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अवर सचिव, छत्तीसगढ राजस्व मण्डल बिलासपुर ।
4. आयुक्त भू–अभिलेख ,छत्तीसगढ रायपुर ।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

13/6/13
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
राजस्व एंव आपदा प्रबन्धन विभाग